

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास
व भू.अ.नि. कोटड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार गिण्डुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुराण में ग्राम पीपावास तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 03/120 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	03 120	गोडावरी पुत्री कालु हिल्ला L/13 जाति - बलाई सा-डेह खोलेदार	गोडावरी पुत्री कालु हिल्ला L/13 जाति - सालवी सा-डेह खोलेदार


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर.

क्रमांक-12025/145
प्रतिलिपि -

दिनांक - 3/10/25

- 1 तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
- 2 प्रार्थी श्री का सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा पदेन सहायक कलक्टर.